

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये, राजस्थान जयपुर


कमांक: प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2015-16/2015/

दिनांक :

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2015-15/2015/1401 दिनांक : 11.09.2015 द्वारा जारी की गई निजी नर्सिंग स्कूल्स एवं उनकी सीटों की अन्तिम सूची में कम संख्या 82 पर अंकित गीताजंली स्कूल ऑफ नर्सिंग, मानव खेडा गिर्वा, उदयपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट याचिका संख्या 12205/15 के अंतरिम निर्णय दिनांक : 16.10.2015 की अनुपालना में राज्य सरकार के आई.डी. कमांक : 802 दिनांक 26.10.2015 के अनुमोदनोपरान्त उक्त संस्थान की सीटो की संख्या 60 के स्थान पर 100 पढी जावे।

शेष शर्ते यथावत रहेगी।


  
(श्यामलाल गुर्जर)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कमांक: प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2015-16/2015/1553

दिनांक : 26.10.15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम जयपुर।
3. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड , संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फ़ैडरेशन, ई-277 लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, गीताजंली स्कूल ऑफ नर्सिंग, मानव खेडा गिर्वा, उदयपुर।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
7. रक्षित/आदेश पत्रावली।

  
(श्यामलाल गुर्जर)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये,  
राजस्थान, जयपुर